

सासायटी रजिस्ट्रेशन नं. 34801  
रजिस्ट्रेशन दिनांक 14/01/2019

नियमावली	
आवेदन क्रमांक : S4230105449226092018	अनुमोदन दिनांक : 17 Oct 2018, जयपुर 22/11/2021
<p>1. The Name of the society shall be Alumni Association of Indian Institute of Forest Management होगा।</p> <p>2. The Head office of the Society shall be situated at Room No. 114 in main building of "Indian Institute of Forest Management", Huzur Tehsil at Bhopal - 462003, Madhya Pradesh 462003 तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित होगा।</p> <p>3. संख्या का कार्यक्षेत्र रांपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।</p> <p>4. <b>The objects of the society shall be as under :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 To provide a vibrant forum that promotes interaction and networking among alumni and students of the Institute.</li> <li>2 To help alumni and students achieve their professional and societal goals.</li> <li>3 To help alumni in their hour of need.</li> <li>4 To facilitate the Association of alumni with their Alma Mater.</li> <li>5 To contribute to the Institute's vision of being recognized among the world's leading institutions in academics, research, outreach, and innovation.</li> <li>6 To function on charitable basis, and to run the Association on 'no profit' basis.</li> <li>7 To promote best practices in different areas of forestry, science, technology, humanities, and social sciences for the benefit of the society, especially weaker sections.</li> <li>8 To create awareness about the Institute and its alumni in the public.</li> <li>9 To assist deserving and needy students from the Institute suitability.</li> </ul> <p>5. सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-</p> <p>(अ) संरक्षक सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपये 1000/- या अधिक पूँकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।</p> <p>(ब) आजीवन सदस्य: वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।</p> <p>(स) साधारण सदस्य: वह व्यक्ति जो रुपए 10/- प्रतिमाह या रुपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।</p> <p>(द) अवैतनिक सदस्य: सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग से सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।</p> <p>6. सदस्यता की प्राप्ति-प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।</p>	

हस्ताक्षर  
अधिकारी

हस्ताक्षर  
सचिव  
Waseem Ali

हस्ताक्षर  
कोयाचार  
D. Dhanush

सासायटी रजिस्ट्रेशन नं. 34801  
रजिस्ट्रेशन दिनांक 14/01/2019

10/22/2018

7.	<p><b>सदस्यों की योग्यता-</b> संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आयु 18 वर्ष से कम न हो।</li> <li>2. भारतीय नागरिक हो।</li> <li>3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।</li> <li>4. सदृचारित्र हो तथा मध्यपान न करता हो।</li> </ol>
8.	<p><b>सदस्यता की समाप्ति-</b> संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मृत्यु हो जाने पर।</li> <li>2. पांगल हो जाने पर।</li> <li>3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर।</li> <li>4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।</li> <li>5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।</li> </ol>
9.	<p><b>संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर।</li> <li>2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर।</li> <li>3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।</li> </ol>
10.	<p>(अ) <b>साधारण सभा-</b> साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये गए नियमों के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।</p> <p>(ब) <b>प्रबंधकारिणी सभा-</b> प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।</p> <p>(स) <b>विशेष-</b> यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।</p>
11.	<p><b>साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।</li> <li>(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।</li> <li>(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।</li> <li>(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।</li> <li>(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।</li> <li>(छ) बजट का अनुमोदन करना।</li> </ul>

हस्ताक्षर  
अध्यक्ष

हस्ताक्षर  
सचिव

हस्ताक्षर  
कोपाध्यक्ष

10/22/2018

(5)

- 12. प्रबंधकारिणी का गठन-** नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।  
 (1) अध्यक्ष -1, (2) उपाध्यक्ष -1, (3) सचिव -1, (4) कोषाध्यक्ष -1, (5) संयुक्त सचिव -1, (6) सदस्य -4
- 13. प्रबंध समिति का कार्यकाल-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।
- 14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य-**  
 (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।  
 (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।  
 (स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।  
 (द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।  
 (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।  
 (फ) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।  
 (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुशा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाएगी।
- 15. अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।
- 16. उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।
- 17. सचिव,** एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।
- 18. संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।
- 19. कोषाध्यक्ष के अधिकार-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।
- 20. बैंक खाता-** सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।
- 21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी-** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयों को परीक्षित लेखा भेजेगी।
- 22. संशोधन-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्मस एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

हस्ताक्षर  
रज्यकृत

हस्ताक्षर  
सचिव  
*Madhu Patel*

हस्ताक्षर  
कोषाध्यक्ष  
*S. P. Pathak*

- ६
23. **विधटन-** संस्था का विधटन साधारण सभा में कुल सदसयों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विधटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। अन्यथा उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
24. **सम्पत्ति-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्टर, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
25. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निष्प्रित कर सकेगा।
26. **विवाद-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निष्प्रित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्टर की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्टर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्टर को होगा।

हस्ताक्षर  
अध्यक्ष

हस्ताक्षर  
सचिव

हस्ताक्षर  
कोषाध्यक्ष

शुल्क रूपये 140/- चालन न/ रसीद १—  
दिनांक 9/11/2018 द्वारा प्रदाया गया है। यह मूल  
दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति है  
नारी होने की दिनांक 14/11/2018

प्रदायक के हस्ताक्षर:

T-C  
१८  
22.11.21  
असिस्टेन्ट रजिस्टर  
फर्म्स एवं संस्थाएं  
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल